



सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-14
निदेशालय
प्रारभिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइट—www.schooleducation.uk.gov.in
ई-मेल-ua.elementary@yahoo.in

विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जनसाधारण को विभाग के विषय में सामान्य जानकारी एवं विभिन्न क्रियाकलापों में जानकारी प्रदान करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में

w.w.w.gov.in.schooleducation पर सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

विभाग की वैबसाइट पर निम्न बिन्दुओं पर सूचनाएं प्रस्तुत की गयी है:

- 1— विभाग की सामान्य जानकारी।
- 2— प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, अध्यापक संख्या एवं छात्र संख्या।
- 3— सूचना अधिकार का विवरण (मैनुअल 01 से 17)
- 4— वार्षिक बजट।
- 5— राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012
- 6— उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1985
- 7— उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग की ज्येष्ठता सूची।
- 8— उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व।
- 9— उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011
- 10— भिन्निस्ट्रियल सर्वर में कार्यरत कार्मिकों के लिए वार्षिक गोपनीय आँख्या प्रपत्र
- 11—विभागीय ढॉचा।
- 12—प्रशासन योजना।
- 13—उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण विधेयक—2017

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण।

प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा विभिन्न सूचनाओं के जनसाधारण तक निम्न उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जा रहा है:-

- 1— समाचार पत्रों के विज्ञप्तियों के प्रकाशन।
- 2— सूचना अनुभाग (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
- 3—पूछताछ काउन्टर (प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक)
- 4— विभागीय मैनुअल।
- 5—सी0डी।
- 6— वैबसाइट—w.w.w. schooleducation.uk.gov.in

प्रतिवर्ष विभागीय प्रगति के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति भी जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है।

समाचार पत्रों के द्वारा—समय—समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोक हित में विभिन्न सूचनाओं को जनसामान्य तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा समाजिक चेतना एवं विभागीय प्रयासों को नाटक के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

प्रदर्शनी के द्वारा— विभिन्न सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटो के द्वारा— सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा—उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है। दस्तावेजों की प्रति प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के करने की व्यवस्था द्वारा—उपबन्धों के अधीन अनुरोध कर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। उपलब्ध विभागीय मैनुअल्स सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा-4 द्वारा—अन्तर्गत तैयार किये गये 17 बिन्दुओं पर उपलब्ध मैनुअल्स के निःशुल्क अवलोकन द्वारा ऐसे किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में जहाँ उक्त 17 मैनुअल्स की प्रति उपलब्ध हो कर सकता है। लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल्स संख्या 15 सम्बन्धित बैंकसाइट का विवरण उपलब्ध कराया गया है। अन्य प्रचार प्रसार के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनहित, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों आदि के हित में समय—समय पर बैठक की जाती है। प्रगति प्रतिवेदन, शैक्षिक डायरी इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराया जाना यथा सम्भव सुनिश्चित किया जाता है।

नाटक/नुक्कड़— विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा सामाजिक/सांस्कृतिक त्यौहारों पर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को जनसभा तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है।

सूचना पटों के द्वारा— सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एवं अन्य जनोपयोगी सूचनाओं का प्रकटन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर सूचना पटों के द्वारा यथासम्भव अधिकतम सीमा तक अद्यतन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाता है।

अभिलेखों के अवलोकन द्वारा— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है।

दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था द्वारा— सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के उपबन्धों के अधीन अनुरोधकर्ता वांछित अभिलेखों/पत्रावलियों/दस्तावेजों के प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।